"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 448]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 अगस्त 2014— श्रावण 17, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2014

क्रमांक 6958/डी. 133/21-अ/प्रारू./छ. ग./14. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 05-08-2014 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 11 सन् 2014)

अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014

अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (क्र. 15 सन् 2013) में संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा.

(2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

धारा 2 का संशोधन. 2. अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (क्र. 15 सन् 2013) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 के खंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(छ) "निदेशक" से अभिप्रेत है संस्था का निदेशक, जो विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति होगा और जिसे "कुलपति" या "कुलपति और निदेशक" के रूप में भी निर्दिष्ट किया जा सकेगा ;"

धारा 6 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(1क) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां एनटीपीसी में नियोजित व्यक्तियों या उनके प्रतिपाल्य बच्चों के लिए आरक्षित सीटें, पात्र छात्रों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त हों, तो उन्हें अन्य पात्र छात्रों से भरा जाएगा."

धारा 10 का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (7) एवं (9) को विलोपित किया जाये.

धारा 20 का संशोधन. 5. मूल अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(6) खोज समिति, अपने गठन की तारीख से छ: सप्ताह अथवा ऐसे और समय, जैसा कि कुलाधिपति उचित समझे, के भीतर पैनल प्रस्तुत करेगी :

परंतु यह कि प्रथम निदेशक की नियुक्ति के सिवाय, ऐसा और समय चार सप्ताह से अधिक नहीं होगा."

धारा 21 का संशोधन. 6. मूल अधिनियम की धारा 21 के खंड (ड) को विलोपित किया जाये.

धारा 30 का संशोधन. 7. मूल अधिनियम की धारा 30 के खंड (ड) को विलोपित किया जाये.

8. मूल अधिनियम की धारा (32) में,- धारा 32 का संशोधन.

(एक) खंड (छ) में, शब्द "और" को विलोपित किया जाये ;

(दो) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(छ-1) छात्रसंघ का गठन और उसकी रीति ; और"

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2014

क्रमांक 6958/डी. 133/21-अ/प्रारू./छ. ग./14. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 11 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 11 of 2014)

THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY (IIIT) UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2014

An Act to amend the International Institute of Information Technology (IIIT) University Act, 2013 (No. 15 of 2013).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the International Institute of Information Technology (IIIT) University (Amendment) Act, 2014. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoints.

2. For clause (g) of Section (2) of the International Institute of Information Technology (IIIT) University Act, 2013 (No. 15 of 2013), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be substituted, namely :- **Amendment of Section 2.**

"(g) "Director" means the Director of the Institute, who shall be the ex-officio Vice-Chancellor of the University and may also be referred to as "Vice-Chancellor" or "Vice-Chancellor and Director";"

Amendment of Section 6.

3. After sub-section (1) of Section 6 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :-

"(1A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where the seats reserved for persons employed with NTPC or their wards remain vacant due to non-availability of eligible students, the same shall be filled from among other eligible students."

Amendment of Section 10.

4. Sub-section (7) and (9) of Section 10 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 20.

5. For sub-section (6) of Section 20 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :-

"(6) The search committee shall submit the panel within six weeks from the date of its constitution, or such further time as the Chancellor may deem fit :

provided that except in respect of the appointment of the first Director of the Institute, such further time shall not exceed four weeks."

Amendment of Section 21.

6. Clause (e) of Section 21 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 30.

7. Clause (m) of Section 30 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 32.

8. In Section 32 of the Principal Act,-

(i) In clause (g), the word "and" shall stand omitted ;

(ii) After clause (g), the following shall be inserted, namely :-

"(g-1) constitution of Students' Union and its mode ; and"

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.